

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) : तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय,
राष्ट्रीय आवास बैंक,
यूनिट नंबर 716ए, 7वीं मंजिल,
फेस- II कार्यालय लॉबी,
स्पेंसर प्लाजा नंबर 769,
अन्ना सलाई, चेन्नई - 600002
ई-मेल:rotvm@nhb.org.in

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

1 महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री शुरू होने की तारीख	20.05.2024
2.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	28.05.2024: 1800 घंटे
3.	तकनीकी व वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि एवं समय	29.05.2024: 1200 घंटे
4.	बोली खोलने का स्थान	चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक, यूनिट नंबर 716ए, 7वीं मंजिल, चरण- II कार्यालय लॉबी, स्पेंसर प्लाजा नंबर 769, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600002 ई-मेल:rotvm@nhb.org.in (बोलियां वर्चुअल मोड के माध्यम से भी खोली जा सकती हैं।)

नोट: -

- बोलियां उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उपर्युक्त के अनुसार भाग लेने का विकल्प चुनते हैं। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से जमा किए गए सभी डेटा/जानकारी को रिपोर्ट किया जाना चाहिए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख के रूप में माना जाएगा।
- निविदा आवेदन बोलीदाता द्वारा सीलबंद लिफाफे में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाएगा:
 - अलग सीलबंद लिफाफा जिसमें भाग क शामिल है [तकनीकी बोली अनुलग्नक -IV और V को छोड़कर सभी पृष्ठों पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होनी चाहिए]
 - अलग सीलबंद लिफाफा जिसमें भाग ख शामिल है [वाणिज्यिक बोली- अनुलग्नक IV और V]
 - बाहरी सीलबंद लिफाफा में दो लिफाफों उपरोक्त लिफाफें जिस पर "त्रिवेन्द्रम आरओ के लिए आंतरिक साज-सज्जा कार्य हेतु वास्तुकार के चयन के लिए आरएफपी" लिखा होना चाहिए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

2 राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, दिल्ली, चंडीगढ़, रायपुर, भुवनेश्वर, और रांची में स्थित हैं। बैंक तिरुवनंतपुरम में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की प्रक्रिया में है।

3 कार्य क्षेत्र:

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

4 बोलीदाताओं को निर्देश

4.1 सामान्य: -

- विकास, तैयारी, एवं प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो एवं रा.आ.बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अतिरिक्त, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी विधिक संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।

- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा और स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक पात्र बोलीदाता को सूचीबद्ध करने/चयन करने के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेज में विनिर्दिष्ट चयन मानदंडों को अपने पूर्ण विवेक से लागू कर सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करते ही यह सुनिश्चित करना है, उसे आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तों स्वीकार है।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें

नाम	एम श्रीनाथ	वैभव जे रामटेके
पद का नाम	उप प्रबंधक	सहायक महाप्रबंधक (ओआईसी)
ईमेल आईडी	m.sreenath@nhb.org.in	vaibhav.ramteke@nhb.org.in
फ़ोन नं.	07428682516	09818392483

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) बोलियां जमा करने की समय सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।
- बोलीदाता को भारत में किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/भा.रि.बैंक द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।

4.2 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

4.3 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी स्थिति में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ. बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.4 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- संशोधन की सूचना संबंधित सूचीबद्ध बोलीदाता को ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.5 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

4.6 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

4.7 बोली में शामिल दस्तावेज (यदि कोई हो, कृपया प्रारूपों में अलग से निर्धारित निर्देशों का पालन करें)

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

4.8 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रुपए में उद्धृत की जाएंगी। भारतीय रुपये के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

4.9 कार्यान्वयन अनुसूची

वास्तुकार कार्य आदेश की तिथि से सात दिनों के भीतर निम्नलिखित कार्य पूरा करेगा:

क्र. स.	परियोजना कार्य	समयावधि
1	कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठने की व्यवस्था के लिए आंतरिक साज-सज्जा की तैयारी	3 दिन
2	वास्तविक कार्य निष्पादन और अनुमानित परियोजना लागत प्रदान करने के लिए निविदा दस्तावेज तैयार करना	4 दिन
3	निष्पादित वास्तविक कार्य के बिलों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण हेतु	काम पूरा होने के एक सप्ताह बाद

4.10 बोलियों की वैधता की अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख 12 माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति घोषणा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

4.11 बोलियों का प्रारूप और हस्ताक्षर

आरएफपी के खंड 4.7 में उल्लिखित अनुसार विधिवत भरे हुए अनुलग्नकों के साथ वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत की जानी है।

4.12 बोलियों की मुद्रण एवं चिन्हांकन

मास्टर लिफाफे पर “तिरुवनंतपुरम में क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालयों की आंतरिक साज-सज्जा के लिए वास्तुकार के चयन हेतु प्रस्ताव” लिखकर नीचे दिए गए पते पर रा.आ.बैंक को भेजा जाएगा:

चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय,
राष्ट्रीय आवास बैंक,
यूनिट नंबर 716ए, 7वीं मंजिल,
फेस - II कार्यालय लॉबी, स्पेंसर प्लाजा
नंबर 769, अन्ना सलाई,
चेन्नई - 600002

- सभी लिफाफों पर संपर्क नंबर और ई-मेल पते के साथ बोलीदाता का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

- बोलीदाता खंड 4.7 में उल्लिखित विधिवत भरे हुए अनुबंधों के साथ वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को सील करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और अलग से " तिरुवनंतपुरम में क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालयों की आंतरिक साज-सज्जा के लिए वास्तुकार के चयन हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव " जैसा लागू हो, लिखा होना चाहिए।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और उपाश्रय के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगा।

4.13 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, रा.आ.बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत रहेंगे।

4.14 देर से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद रा.आ.बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोलीदाता को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

4.15 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

वाणिज्यिक बोलियाँ खोलने का स्थान:

चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय,
राष्ट्रीय आवास बैंक,
यूनिट नंबर 716ए, 7वीं मंजिल,
फेस - II कार्यालय लॉबी, स्पेंसर प्लाजा
नंबर 769, अन्ना सलाई,
चेन्नई - 600002

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

- बोलियाँ वर्चुअल मोड के माध्यम से भी खोली जा सकती हैं।
- बोलीदाता का नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति, या ऐसे अन्य विवरण, जैसे कि रा.आ.बैंक अपने विवेक पर उचित समझे, तकनीकी बोली खोलने के समय घोषित किए जाएंगे।

4.16 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.17 प्रारंभिक जांच

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं एवं बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक, अपने विवेकानुसार, बोली में किसी भी मामूली कमी, गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ कर सकता है जो भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते ऐसी छूट किसी भी बोली लगाने वाला की सापेक्ष रैंकिंग को प्रभावित या पक्षपात नहीं करती है।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम है।

4.18 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

4.19 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा समुदेशित कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही निपटाएगा।

4.20 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को **अनुलग्नक V** में उपलब्ध संरचना के अनुसार कीमतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की अवहेलना होने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी। वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प होंगे तो बोली निरस्त की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव स्थिर कीमत आधार पर होगा।
- सांविधिक संशोधन के अनुसार केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

- परियोजना कार्यान्वयन तिथि आदेश पत्र की स्वीकृति तिथि (प्रारंभिक तिथि) या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य तिथि होगी। यदि लागू हो तो सहायता सेवाओं आदि के नवीकरण हेतु उक्त तिथि पर ही विचार किया जाएगा।
- कीमतें वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख से 12 महीने के लिए वैध होंगी और बोली लगाने वाले को उसी कीमत पर अतिरिक्त सामान, यदि कोई हो, की आपूर्ति करनी होगी।
- कोई अतिरिक्त मद/कार्य अर्थात् मद/कार्य जो बीओक्यू में उल्लिखित नहीं है, केवल प्रभारी इंजीनियर के लिखित निर्देश पर स्थापित किए जाएंगे। हालांकि, इस अतिरिक्त मद/कार्य की दर का भुगतान डीएसआर में उल्लिखित मद की न्यूनतम दर के अनुसार किया जाएगा।

4.21 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस आरएफपी के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता के पास तिरुवनंतपुरम में उचित और पर्याप्त सहायता प्रणाली होनी चाहिए।

4.22 बोली मूल्यांकन

परियोजना के लिए उद्धृत न्यूनतम प्रतिशत (%) वाली बोली (**Z: अनुलग्नक V**) का चयन किया जाएगा।

4.23 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

4.24 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अतिरिक्त तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

4.25 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली हेतु अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

है कि यदि उन्हें आरएफपी के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड अनुलग्नक- III के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

4.26 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

4.27 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

4.28 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रुचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

4.29 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

4.30 कानूनों का अनुपालन

(क) सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

- (ख) सलाहकार ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि तुरंत प्राप्त एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने हेतु अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक लेखा परीक्षा फर्म को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।
- (ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत लेखा परीक्षा फर्म के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (घ) यदि किसी कारण से, नियोक्ता कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या किसी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन के आधार पर काम के निष्पादन में बोलीदाता द्वारा नियोजित कर्मकार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता बोलीदाता से भुगतान की गई मुआवजे की राशि और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वसूल करने का हकदार होगा। नियोक्ता को इस अनुबंध के तहत या अन्यथा सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा बोलीदाता को देय किसी भी राशि से कटौती करके ऐसी राशि या उसके किसी भी हिस्से की वसूली करने की स्वतंत्रता होगी।

4.31 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

4.32 यदि ऐसा विवरण निविदा चरण में पाया जाता है, तो उसकी कुल बयाना राशि/ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और निविदा/बोली को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4.33 यदि अनुबंध के चरण में ऐसा कोई बयान पाया जाता है, तो रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार पीबीजी को लागू करने सहित निविदा को समाप्त करने हेतु आरएफपी में प्रदान की गई यथोचित कार्रवाई कर सकता है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

4.34 अपरिहार्य करार

सफल बोलीदाता पुरस्कार पत्र (एलओए) के 15 दिनों के भीतर या रा.आ.बैंक द्वारा तय की गई विस्तारित अवधि के भीतर रा.आ.बैंक के साथ अनुबंध VIII में प्रदान किए गए प्रारूप में सेवा स्तर समझौते (एसएलए) पर हस्ताक्षर करेगा। इस आरपीएफ प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अनुबंध/ओं के निष्पादन के संबंध में सभी व्यय, स्टाम्प शुल्क और अन्य शुल्क/व्यय सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। बोर्ड के प्रस्ताव या मुख्तारनामा की प्रति यह दर्शाती है कि हस्ताक्षरकर्ता को स्वीकृति पत्र, अनुबंध और गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.35 किसी ऐसे देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ((डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- बोलीदाता को अनुलग्नक IX में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

(क) “बोलीदाता” (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

(ख) “इस आदेश के उद्देश्य हेतु “भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता” का अर्थ:

- (i) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
- (ii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
- (iii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

- (iv) संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
- (v) संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
- (vi) साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
- (vii) सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करने" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

- i. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;
- ii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;
- iii. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;
- iv. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी एवं कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

(क) एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

- 5 बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक) एवं बोली मूल्यांकन पद्धति
भा.रि.बैंक/एसबीआई (तिरुवनंतपुरम सर्किल) की केवल सूचीबद्ध वास्तुकार/आर्किटेक्ट ही इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं एवं किसी अन्य बोलीदाता से प्राप्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 6 वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें
बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना/समनुदेशन की निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तों पर ध्यान दें।

6.1 कीमत

- (क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- (ख) वाणिज्यिक बोली के अनुसार कीमत में (जीएसटी छोड़कर) शुल्क, लेवी शुल्क, परिवहन, बीमा सहित सभी कर शामिल होने चाहिए।
- (ग) समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (घ) अनुबंधित दरों के आधार पर, रा.आ.बैंक अपने विवेक से दोबारा आदेश दे सकता है।

6.2 भुगतान की शर्तें

कोई भी भुगतान अनुलग्नक VIII में उल्लिखित मसौदे के अनुसार सेवा स्तर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ही जारी किया जाएगा। परियोजना के निष्पादन के दौरान वास्तुकार को कोई आंशिक भुगतान नहीं किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने और वास्तुकार द्वारा अंतिम बिलों के प्रमाणीकरण के बाद, वास्तुकार निपटान के लिए अपना अंतिम बिल जुटा सकता है। हालांकि, यदि वास्तुकार की कोई गलती नहीं होने के कारण परियोजना अधूरी/रद्द हो जाती है, तो भुगतान की सीमा निम्नानुसार होगी (तालिका 'क'):

तालिका 'क'

अवस्था	पूरा किया गया कार्य	भुगतान की सीमा
1.	डिजाइन लेआउट की स्वीकृति पर, वास्तविक कार्य के लिए निविदा दस्तावेज, परियोजना का अनुमान और विक्रेता का चयन और रा.आ.बैंक द्वारा कार्यान्वयन फर्म को संपर्क प्रदान करना।	कार्यान्वयन फर्म को दिए गए अनुलग्नक मूल्य के आधार पर देय कुल शुल्क का 30%

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

2.	रा.आ.बैंक द्वारा परियोजना के पूरा होने और स्वीकृति के बाद।	कार्यान्वयन फर्म को दिए गए अनुलग्नक मूल्य के आधार पर देय कुल शुल्क का 70%
3.	प्रमाणीकरण के बाद, अंतिम बिल सत्यापन और आवश्यक दस्तावेज।	कार्यान्वयन फर्म को दिए गए अनुलग्नक मूल्य के आधार पर देय कुल शुल्क का 100%

6.3 अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो लागू अर्थदंड और टीडीएस/अन्य लागू करों में कटौती के बाद सेवाओं के लिए भुगतान तालिका क (पृष्ठ संख्या 17) के आधार पर किया जाएगा, जिस अवधि हेतु सेवाएं प्रदान की गई हैं।

7 सामान्य नियम एवं शर्तें

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

7.13 अर्थदंड

यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा करने में विफल रहता है, तो रा.आ.बैंक प्रत्येक सप्ताह की देरी हेतु कार्य आदेश मूल्य के 0.5% का जुर्माना लगा सकता है या सफल बोलीदाता के लिए उसके हिस्से के लिए, वस्तु के मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन हो सकता है। एक बार अधिकतम हो जाने पर, रा.आ.बैंक आदेश को रद्द करने पर विचार कर सकता है और प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी/प्रतिधारण धन/ईएमडी को लागू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि वारंटी अवधि के दौरान उजागर दोषों का सुधार सात दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो रा.आ.बैंक इसे बाहर से ठीक करवा सकता है और इस पर होने वाले व्यय को प्रतिधारण धन/ ईएमडी से वसूल किया जाएगा।

यदि बोलीदाता को काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है या यदि अनुबंध में निर्धारित समाप्ति तिथि से परे किसी भी कारण से काम पूरा होने में देरी होती है, तो बोलीदाता लिखित रूप में अतिरिक्त समय के लिए बैंक को आवेदन करेगा। निर्धारित समय की समाप्ति से कम से कम 7 दिन पहले और अतिरिक्त समय के लिए आवेदन करते समय बोलीदाता देरी के कारणों और उसके औचित्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा। विस्तार के अनुरोध को स्वीकार/अस्वीकार करना बैंक का विवेकाधिकार है।

7.14 कार्य आदेश/ पुरस्कार पत्र की स्वीकृति

रा.आ.बैंक दो प्रतियों में कार्य आदेश/पुरस्कार का पत्र जारी करके सफल बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित करेगा। सफल बोलीदाता को स्वीकृति के प्रमाण में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किए गए एवं हस्ताक्षर किए गए कार्य आदेश/पुरस्कार आदेश के पत्र की तारीख से 2 कार्य दिवसों के भीतर डुप्लीकेट कॉपी रा.आ.बैंक को वापस करनी होगी। हालांकि, रा.आ.बैंक को कार्य आदेश/पुरस्कार के पत्र को रद्द करने का अधिकार है, अगर उसे निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता है।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक साज-सज्जा हेतु वास्तुकार का चयन

7.15 कर

प्रदान की गई सेवा की अवधि के दौरान प्रचलित सांविधिक दरों के अनुसार रा.आ.बैंक द्वारा वास्तविक आधार पर केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। लागू होने वाले अन्य सभी कर बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। रा.आ.बैंक सफल बोलीदाता को किए गए भुगतानों के संबंध में प्रभावी कानून/नियमों के अनुसार स्रोत पर ऐसी कर कटौती करने के लिए अधिकृत है।

7.16 अनुबंध दस्तावेजों और सूचनाओं का उपयोग

बोलीदाता/सफल बोलीकर्ता, एनएचबी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बोली दस्तावेज में रा.आ.बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज या जानकारी का उपयोग नहीं करेगा या अन्यथा अनुबंध के निष्पादन के उद्देश्यों को छोड़कर।

7.17 कार्यभार

बोलीदाता/सफल बोलीदाता, रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा या आंशिक रूप से सौंपे/उप-अनुबंध नहीं करेगा।

नोट:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं हैं, या विशेष रूप से वर्णित हैं लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र के तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

अनुलग्नक हेतु

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

****किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी मूलपाठ मान्य होगा।***

XXXXXX समाप्त XXXXXX